FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
नेमाराम पुत्र तगाराम जाति मेघवाल निवासी हाडेचा तहसील चितलवाना जिला जालोर (राजस्थान)		1. खुमाराम पुत्र तेजाराम 2. डालूराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी सदरान की बेरी 3. तहसीलदार गुड़ामालानी

मु0नं0...22 / 2023.

किस्म मुकदमा.....धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
27.01.2023	प्रार्थी नेमाराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री डालूराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण खुमाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल आलपुरा के राजस्व ग्राम जुगताणियों की ढ.णी में खेत खसरा नम्बर 1702, 841 रकबा कमशः 1.7159, 1.0441 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का 5/8, विप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 एवं विप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के हिस्से खुले हुए है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौखिक वंटवाडा अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर काविज काश्त हैं। कानूनी वंटवाडा नहीं होने तथा भूमि संयुक्त खातेदारी में होने के कारण अपने अपने हिस्सों की सीमाओं को लेकर हर समय विवाद वना रहता है। विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के हिस्से की उपजाऊ बनाई गई भूमि पर जवरन कब्जा कर विना वंटवाडा कराये अजनवी व्यक्तियों को वेचान करने एवं प्रार्थी को वेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि विप्रार्थीगण से अलग करवाकर शेष प्रतिवादीगण से विभाजित करवाने हेतु वंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी से बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमावन्दी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, हिस्से खुले हुए हैं तथा भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। चूंकि प्रार्थी वकील की वहस अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 व 2 विना वंटवाडा करवाये भूमि को वेचान कर प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है, प्रार्थी [illegible] खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार [illegible] आदेश तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल आलपुरा के राजस्व ग्राम जुगताणियों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 1702, 841 रकबा कमशः 1.7159, 1.0441 हैक्टेयर भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। वकील प्रार्थी विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	(106 नोटिस 31.1.23) प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार, गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

9/4/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी से पत्रावली पर बहस सुनी गई। मूल प्रकरण में प्रा. डिक्री पर्चा जारी किया जा चुका है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 27.01.23 अंतिम डिक्री पर्चा जारी होने तक पुष्ट (Confirm) की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कायम कलेक्टर गुड़ामालानी

27/3/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी से पत्रावली पर बहस सुनी गई मूल प्रकरण में प्रा० डिक्री पर्चा जारी किया जा चुका है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 27/01/23 अंतिम डिक्री पर्चा जारी होने तक पुष्ट (Confirm) की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी